सं. 004/वीजीएल/26

भारत सरकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक 'ए',
जीपीओ कॉम्पलैक्स, आईएनए,
नई दिल्ली -110023
दिनांकः 17 मई, 2004

कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004

विषयः- जनहित प्रकटन एवं सूचनादाता की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प।

1. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप और कार्यालय के दुरूपयोग के प्रकटीकरण की लिखित शिकायतों को प्राप्त करने और उपयुक्त कार्यवाई की संस्तुति देने के लिए 'प्राधिकृत एजेंसी' के तौर पर आधिकृत किया गया है ।

2. उपर्युक्त संकल्प के संदर्भ में केंन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी की गई जन सूचना की एक प्रति लगाई गई है। सभी सीवीसी को इस सकंल्प के तहत आयोग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों के संदर्भ में निम्न कार्रवाइयाँ करना जरूरी हैः

(I) शिकायत में उत्थित मामले के संबंध में सभी उपयुक्त कागज़ पत्रों/दस्तावेज़ों को सीवीओ द्वारा प्राप्त किया जाएगा और शिकायत की जाँच-पड़ताल तुरंत चालू हो जानी चाहिए। आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट दो हफ्तों के भीतर जमा करनी होगी।

(II) सीवीओ यह सुनिश्चित कर लें कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध 'मुखबिर' पाए जाने के कारण/संदेह दिखाई देने पर किसी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(III) आयोग के निर्देशों की पावती के अनुवर्ती इन शिकायतों पर आधारित अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, डीए द्वारा आगामी कार्रवाई के अनुपालन का सीवीओ द्वारा अनुवर्तन और निश्चित करना होगा और यदि कोई देरी होती है तो आयोग को सूचित करें।

(IV) इस कार्यविधि की विषय-वस्तु को सचिव/सीईओ/सीएमडी के ध्यान में लाया जा सकता है।

सभी सीवीओ अनुपालन के लिए उपर्युक्त निर्देशों पर ध्यान दें।

ह0/-

(सुजीत बैनर्जी)

सचिव

के प्रति

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

जनहित प्रकटन एवं सूचनादाता की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प

1) भारत सरकार ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) को किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप और कार्यालय के दुरूपयोग के प्रकटीकरण की लिखित शिकायतों को प्राप्त करने और उपयुक्त कार्रवाई की संस्तुति देने के लिए 'प्राधिकृत एजेंसी' के तौर पर आधिकृत किया है।

2) इस संदर्भ में आयोग का अधिकार क्षेत्र केंन्द्रीय सरकार या केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत/ द्वारा स्थापित किसी कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, सरकारी कंपनियों, समाज या केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वाधिकृत स्थानीय प्राधिकरण तक सीमित रहेगा। राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कर्मचारी वर्ग और राज्य सरकारों की गतिविधियां या इसके कॉर्पोरेशन आदि आयोग के दायरे में नहीं आएंगे।

3) इस संदर्भ में, आयोग, इन शिकायतों को स्वीकार नहीं करेगा, उसे शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने की जिम्मेवारी है। अतएव, सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी शिकायत, जो इस संकल्प के अंतर्गत बनती है वे निम्नलिखित पहलू के अंतर्गत मानी जाएंगीः-

   (i) शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

   (ii) लिफाफे पर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग का पता होना चाहिए और जनहित प्रकटन के अतर्गत शिकायत लिखी होना चाहिए। यदि लिफाफा बंद व उपरिलिखित नहीं है, तो आयोग के लिए संभव नहीं है कि उपर्युक्त संकल्प के अंतर्गत वह शिकायतकर्ता का संरक्षण कर सके तथा शिकायत आयोग की

सामान्य शिकायत नीति के अनुसार पेश होगी। शिकायतकर्ता को शिकायत या सलंग्न पत्र में अपना नाम व पता देना होगा।

(iii) आयोग बेनाम/छद्मनामी शिकायत को ग्रहण नहीं करेगा।

(iv) शिकायत की विषय-वस्तु बड़ी सावधानी से लिखी होनी चाहिए, ताकि उनकी पहचान संबंधी जानकारी या संकेत न मिल सके। हालांकि, शिकायत की जानकारी निश्चित व प्रमाणित होनी चाहिए।

(v) व्यक्ति की पहचान को संरक्षित रखने के लिए, आयोग किसी प्रकार की प्राप्ति सूचना जारी नहीं करेगा और मुखबिरों को उनके अपने हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे आयोग के साथ किसी प्रकार का अग्रिम पत्र-व्यवहार न करें। आयोग सुनिश्चित करता है कि, प्रमाणित किए गए प्रकरण के तथ्यों के विषय में, भारत सरकार के उपर्युक्त संकल्प के अंतर्गत, यह उचित कार्रवाई करेगा। यदि आगे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है तब आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

4. आयोग इस संकल्प के अंतर्गत उत्प्रेरित/संतापित शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

5. आयोग की वेब-साइट पर विज्ञापन की विस्तृत प्रति उपलब्ध हैः- htt://www.cvc.nic.in

केन्द्रीय सर्तकता आयोग, आईएनए, सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी ।

ह0/-

सचिव

केन्द्रीय सतर्कता आयोग